

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 79/2018

दायर दिनांक: 08.06.2018

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार आयु 56 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पंचायत भवन के पीछे कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

- 1 नाथूलाल आयु 50 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
- 2 शरद कुमार पुत्र कस्तूरचन्द जाति महाजन निवासी गरुघाट रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
- 3 सूरजमल पुत्र किशनलाल जाति कलाल निवासी मेन रोड़ सालपुरा कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
- 4 श्यामसुन्दर मित्तल आयु 45 वर्ष पुत्र कल्याणमल मित्तल जाति महाजन निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
- 5 गोपीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
- 6 नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
- 7 देवचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासीगण महुआखेड़ा पोस्ट कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
- 8 बबलू पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
- 9 छोटूलाल पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
- 10 शंकरलाल पुत्र ताराचन्द जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज पोस्ट मूसेनमाता तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
- 11 राजस्थान सरकार जर्ने तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।



प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

निर्णय

दिनांक 25/03/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया था विवादित जमाबंदी ग्राम कवाई की खाता संख्या 676 ख0न0 365 किता 1 रकबा 0.77 है0 वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है, जिसमे वादी राजेन्द्र कुमार का हिस्सा 393/4320 दर्ज है। जिसका हिस्से व कब्जेनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिनांक 21.01.2021 को जारी कर तहसीलदार अटरू से निर्णय अनुसार विभाजन प्रस्ताव वाद में वर्णित सभी पक्षकारान की उपस्थिति मे मौके पर तैयार कर पेश करने हेतु आदेशित किया था जिसकी पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2021/406 दिनांक 12.03.2021 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया है जिससे अभिभाषकगण सहमत है। अतः प्रस्तुत विभाजन अनुसार विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 676 ख0न0 365 किता 1 रकबा 0.77 है0 वादी एवं प्रतिवादीगण के के मध्य हिस्से अनुसार निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

1. वादी राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण सा0 देह के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
365	0.05 है0	माल 1	0.60
365	0.02 है0	माल 1	0.24

किता 2	0.07 है0		0.84

2. प्रतिवादीगण गोपीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द हिस्सा 2/126 जाति मीणा सा. महुआखेडा खातेदार
छोटूलाल पुत्र धन्नालाल हिस्सा 4/42 जाति बंजारा सा देह
देवचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा सा महुआखेडा हिस्सा 2/126
नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा सा महुआखेडा हिस्सा 2/126
नाथूलाल पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा हिस्सा 4/42
बबलू पुत्र धन्ना जाति बंजारा हिस्सा 9/42
शंकरलाल पुत्र ताराचन्द जाति मीणा हिस्सा 1/42
श्यामसुन्दर मिततल पुत्र कल्याणमल जाति महाजन हिस्सा 6/42
शरदकुमार पुत्र कस्तूरचन्द जाति महाजन हिस्सा 6/42
सूरजमल पुत्र किशनलाल जाति कलाल हिस्सा 1/42

सुरेश कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/42 जाति माली निवासी चारण खेडी के खाते में निम्न आराजी रहेगी:-

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
365	0.38 है0	माल 1	4.56
365	0.04 है0	माल 1	0.48
<hr/>			
किता 2	0.42 है0		5.04

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दारामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 79/2018

उनवान

- 1 राजेन्द्र कुमार आयु 56 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पंचायत भवन के पीछे कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. नाथूलाल आयु 50 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारां
- 2 शरद कुमार पुत्र कस्तूरचन्द जाति महाजन निवासी गरुघाट रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
- 3 सूरजमल पुत्र किशनलाल जाति कलाल निवासी मेन रोड़ सालपुरा कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
- 4 श्यामसुन्दर मित्तल आयु 45 वर्ष पुत्र कल्याणमल मित्तल जाति महाजन निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
- 5 गोपीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
- 6 नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
- 7 देवचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासीगण महुआखेड़ा पोस्ट कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
- 8 बबलू पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
- 9 छोटूलाल पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
- 10 शंकरलाल पुत्र ताराचन्द जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज पोस्ट मूसेनमाता तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
- 11 राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती विवादित जमाबंदी ग्राम कवाई की खाता संख्या 676 ख0न0 365 किता 1 रकबा 0.77 है0 वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है, जिसमे वादी राजेन्द्र कुमार का हिस्सा 393/4320 दर्ज है। जिसका हिस्से व कब्जेनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिनांक 21.01.2021 को जारी कर तहसीलदार अटरू से निर्णय अनुसार विभाजन प्रस्ताव वाद में वर्णित सभी पक्षकारान की उपस्थिति मे मौके पर तैयार कर पेश करने हेतु आदेशित किया था जिसकी पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2021/406 दिनांक 12.03.2021 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया है जिससे अभिभाषकगण सहमत है। अतः प्रस्तुत विभाजन अनुसार विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 676 ख0न0 365 किता 1 रकबा 0.77 है0 वादी एवं प्रतिवादीगण के के मध्य हिस्से अनुसार निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

3. वादी राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण सा0 देह के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
365	0.05 है0	माल 1	0.60
365	0.02 है0	माल 1	0.24
किता 2	0.07 है0		0.84

4. प्रतिवादीगण गोपीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द हिस्सा 2/126 जाति मीणा सा. महुआखेडा खातेदार
छोटूलाल पुत्र धन्नालाल हिस्सा 4/42 जाति बंजारा सा देह
देवचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा सा महुआखेडा हिस्सा 2/126
नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा सा महुआखेडा हिस्सा 2/126
नाथूलाल पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा हिस्सा 4/42
बबलू पुत्र धन्ना जाति बंजारा हिस्सा 9/42
शंकरलाल पुत्र ताराचन्द जाति मीणा हिस्सा 1/42
श्यामसुन्दर मिततल पुत्र कल्याणमल जाति महाजन हिस्सा 6/42
शरदकुमार पुत्र कस्तूरचन्द जाति महाजन हिस्सा 6/42
सूरजमल पुत्र किशनलाल जाति कलाल हिस्सा 1/42
सुरेश कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/42 जाति माली निवासी चारण खेडी के खाते में निम्न आराजी रहेगी:-

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
365	0.38 है0	माल 1	4.56
365	0.04 है0	माल 1	0.48
.	.	.	.
किता 2	0.42 है0		5.04

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दारामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 25.03.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)